

समाचार जगत
दिनांक 08/08/2023 पृष्ठ संख्या 5

जयपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: ज.वि.प्रा./जनसम्पर्क/2023/डी-बी-150 **आम सूचना** दिनांक: 07.08.2023

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट- www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव आदि दो तो 7 दिवस में मध्य दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	जोन	प्लॉट नं.	पु.वि.स.स.ति./ योजना का नाम	आवेदक
01	पीआरएन उत्तर (प्रथम)	81-सी वेस्ट पार्ट	वांकर पवन गु.नि.स.स.ति. की योजना विनायक एनकरीव, डी-होल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह तंवर
02	7	डी-23	जयिप्रा की योजना वैशाली नगर, नाम हस्तान्तरण/लीजहोल्ड से डी होल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती सुजाता नकारा पत्नी श्री नरेश नकारा
03	11	ए-196	जयिप्रा की योजना अनुपम विहार, नाम हस्तान्तरण हेतु	श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री कमलेश कुमार शर्मा
04	13	38	हथरोई गद्दी गु.नि.स.स.ति. की योजना जगदीशपुरी कानोला, लीजडीड जारी करने हेतु	श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री आलोक सिंह
05	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	A-39	हसनपुरा-ए गु.नि.स.स.ति. की योजना विनायक सरोवर, लीजडीड हेतु	तक्ष्मी वैसावत
06	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	A-80	हसनपुरा-ए गु.नि.स.स.ति. की योजना विनायक सरोवर, लीजडीड हेतु	अशोक कुमार
07	08	खसरा नं. 811 एवं 812	ग्राम डम्बाला, तहसील सांगानेर खसरा नं. 811 एवं 812 की निजी खातेदारी की योजना उदय बाटिका के रिकॉर्ड में नाम ईद्राज करने बाबत	पोसवाल रियल एस्टेट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री रतनलाल गुर्जर
08	14	14/OF/ S/79	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भोरीलाल शर्मा
09	14	14/OF/ 144	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, सादुराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा
10	14	14/OF/ S/80	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भोरीलाल शर्मा
11	14	14/OF/ 113	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भोरीलाल शर्मा
12	14	14/OF/ S/81	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, सादुराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा
13	14	14/OF/ S/238	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, सादुराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा
14	14	14/OF/ 366	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भोरीलाल शर्मा
15	14	14/OF/ 403	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भोरीलाल शर्मा
16	14	14/OF/ 424	जयिप्रा की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भोरीलाल शर्मा एवं श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, सादुराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा

लोक सूचना

क्र.सं.	जोन	खसरा नं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	7	302/318	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु	MOOLCHAND YADAV
2	7	211/302	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु	KANHAIYA LAL YADAV, MAMTA YADAV & SARITA YADAV
3	7	212/302	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु	KANHAIYA LAL YADAV, MAMTA YADAV & SARITA YADAV
4	7	303/322	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु	RAKESH KUMAR YADAV
5	7	303/323	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु	MOOLCHAND YADAV
6	11	188/65, 192/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	अमिनन्दन बिस्वहोम प्रा.ति. जरिये निदेशक श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल
7	11	187/65, 191/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्री विकास दुलाद पुत्र श्री आर.के. दुलाद
8	11	186/65, 190/65, 205/65 एवं 209/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीमती मंजू चौहान पत्नी श्री रमेश कुमार चौहान एवं श्रीमती सरोज चौहान पत्नी श्री लोकेश
9	11	196/65, 206/65 एवं 202/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल

क्रमांक: जयिप्रा/उपा. जोन-14/2023/डी- 2028 दिनांक: 07.08.2023

सार्वजनिक नोटिस
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 80 मीटर चौड़ी जोनल प्लान सड़क से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम डम्बाला बुजुर्ग तहसील माधोराजपुरा के ख.नं. 518/3 रकबा 1.0748 हे० संपूर्ण को खातेदार छोटादर पुत्र भोरीलाल, जगदीश पुत्र भोरीलाल, नाथीदेवी पत्नी भोरीलाल, श्रवणलाल पुत्र भोरीलाल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/ परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्पान / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक- जयिप्रा/जोन-14/2023/डी-2029 दिनांक: 07.08.2023

सार्वजनिक नोटिस
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (रिंग रोड से पहाडिया डिग्री रोड, टॉक रोड को जोड़ने वाली) सेक्टर कॉमिश्नियल सड़क में आ रही भूमि ग्राम पहाडिया तहसील माधोराजपुरा के ख.नं. 1410/20 रकबा 2.5290 हेक्ट में खातेदार कमलेश कुमार कुमावत पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत निवासी गोपियावास तह. शाकसु एवं ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील माधोराजपुरा के ख.नं. 1 रकबा 0.2908 हेक्ट में खातेदार विमला माहेश्वरी पत्नी श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी प्लॉट नं. 8 / सी - 30 प्रताप नगर, प्रथम, टॉक फाटक, जयपुर, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.8198 हेक्ट. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्पान / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन 14 कार्यालय में 7 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

दैनिक प्रातःकाल

दिनांक 07/08/2023 पृष्ठ सं. 3
8/8/2023

जयपुर विकास प्राधिकरण

हरिद्वारा संचालित, जयपुर स्थित, जयपुर-302004

क्रमांक: ज.वि.प्रा./जनसम्पर्क/2023/डी-बी-150 **आम सूचना** दिनांक: 07.08.2023
निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के परदे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट- www.jda.rajasthan.gov.in एवं जैन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव आदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जैन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	प्लान	प्लान नं.	पू.वि.स.स.लि./ योजना का नाम	आवेदक
01	पीआरएन उत्तर (प्रथम)	81-सी डेस्ट पार्ट	शंकर धवन गु.नि.स.स.लि. की योजना विनायक एनक्लेव, प्री-होल्ड परदे हेतु	श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री महेश सिंह तंवर
02	7	डी-23	जबिया की योजना वैशाली नगर, नाम हस्तान्तरण/लीजडीड से प्री होल्ड परदे हेतु।	श्रीमती सुजाता नकारा पत्नी श्री नरेश नकारा
03	11	ए-196	जबिया की योजना अनुपम विहार, नाम हस्तान्तरण हेतु	श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री कमलेश कुमार शर्मा
04	13	38	हयरोई गढी गु.नि.स.स.लि. की योजना जगदीशपुरी कनोता, लीजडीड जारी करने हेतु	श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री आतोक सिंह
05	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	A-39	हसनपुरा-ए गु.नि.स.स.लि. की योजना विनायक सरोवर, लीजडीड हेतु	लक्ष्मी जैसावत
06	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	A-80	हसनपुरा-ए गु.नि.स.स.लि. की योजना विनायक सरोवर, लीजडीड हेतु	अशोक कुमार
07	08	खसरा नं. 811 एवं 812	ग्राम बम्बाला, तहसील सांगानेर खसरा नं. 811 एवं 812 की निजी खातेदारी की योजना उद्यम वाटिका के रिकॉर्ड में नाम ईंज्रॉज करने बाबत	पोसवाल रियल एस्टेट प्रा. लि. जसिये निदेशक श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री रतनलाल गुर्जर
08	14	14/OF/S/79	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भीरीलाल शर्मा
09	14	14/OF/144	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा
10	14	14/OF/S/80	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भीरीलाल शर्मा
11	14	14/OF/113	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भीरीलाल शर्मा
12	14	14/OF/S/81	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा
13	14	14/OF/S/238	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा
14	14	14/OF/366	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भीरीलाल शर्मा
15	14	14/OF/403	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भीरीलाल शर्मा
16	14	14/OF/424	जबिया की रिंग रोड योजना, नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु।	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भीरीलाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा

लोक सूचना

क्र.सं.	प्लान	खसरा नं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	7	302/318	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु।	MOOLCHAND YADAV
2	7	211/302	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु।	KANHAIYA LAL YADAV, MAMTA YADAV & SARITA YADAV
3	7	212/302	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु।	KANHAIYA LAL YADAV, MAMTA YADAV & SARITA YADAV
4	7	303/322	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु।	RAKESH KUMAR YADAV
5	7	303/323	ग्राम-कनकपुरा, तहसील जयपुर, जिला- जयपुर की भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु।	MOOLCHAND YADAV
6	11	188/65, 192/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु।	अभिनन्दन विन्डहोम प्रा.लि. जसिये निदेशक श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल
7	11	187/65, 191/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु।	श्री विकास दुसाद पुत्र श्री आर.के. दुसाद
8	11	186/65, 190/65, 205/65 एवं 209/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु।	श्रीमती मंजू चौहान पत्नी श्री रमेश कुमार चौहान एवं श्रीमती सरोज चौहान पत्नी श्री लोकेश
9	11	196/65, 206/65 एवं 202/65	ग्राम-हरबंशपुरा, तहसील सांगानेर, जिला- जयपुर की भूमि का आवसीय प्रयोजन के उपयोग हेतु।	मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल

क्रमांक:जबिया/उप. जैन-14/2023/डी- 2028 दिनांक: 07.08.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी जैन प्लान सड़क से प्रभावित भूमि राजसू ग्राम डबला बुजुर्ग तहसील माधोरजपुरा के ख.नं. 518/3 रकबा 1.0748 हे० सम्पूर्ण को खातेदार खोराम पुत्र भीरीलाल, जगदीश पुत्र भीरीलाल, नाधीदेवी पत्नी भीरीलाल, श्रवणलाल पुत्र भीरीलाल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित निति/आदेश/ परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जैन -14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

क्रमांक-- जबिया/जैन-14/2023/डी-2029 दिनांक: 07.08.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (रिंग रोड से पहाडिया डिग्री रोड, टॉक रोड को जोड़ने वाली) सेक्टर कॉमर्शियल सड़क में आ रही भूमि ग्राम पहाडिया तहसील माधोरजपुरा के ख.न. 1410/20 रकबा 2.5290 हेक्टर में खातेदार कमलेश कुमार कुमावत पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत निवासी गोगियावास तह. चाकसू एंव ग्राम मोहबलपुरा तहसील माधोरजपुरा के ख.न. 1 रकबा 0.2908 हेक्टर में खातेदार विमला माहेश्वरी पत्नी श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी प्लाट नं. 8 / सी - 30 प्रताप नगर, प्रथम, टॉक फाटक, जयपुर, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.8198 हेक्टर. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जैन 14 कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।